HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9442/2024

Anil Kumar S/o Lorik, Aged About 30 Years, R/o Kushmahari Tola Jhanda, Ghorasahan, Police Station Ghorasahan, District Motihari (Bihar). (Presently Residing At Gali No. 7 Kapashera, P.s. Kapashera, New Delhi) (At Present Lodge At District Jail, Sawai Madhopur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashindra Gautam
For Respondent(s)	:	Ms. Arti Sharma, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

30/09/2024

प्रार्थी/अभियुक्त **अनिल कुमार** की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक **20.07.2024** के विरूद्ध यह जमानत प्रार्थना पत्र **धारा 483 बी.एन.एस.एस.** के अन्तर्गत पुलिस थाना **मानटाउन, जिला सवाईमाधोपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**178/2024** अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 **भारतीय दंड संहिता** में नियमित जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को मामले में झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। वह 26.06.2024 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोपपत्र पेश हो चुका है। प्रकरण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया ।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को व वितर्कों पर मनन किया। प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, अनुसंधान के दौरान आयी साक्ष्य, प्रार्थी की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रूपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000—25,000/— रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी/अभियुक्त **अनिल कुमार पुत्र लोरिक** को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI/124